अध्ययन सामग्री निर्माण
Dr. SHAKEEL HUSAIN
Head . Dept. of Political Science
Govt. VYT.PG Autonomous College
Durg CG.
shakeelvns27@gmail.com

वैधानिक और नीतिगत ढांचा

ई गवर्नेंस पर वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट एवं न्यूनतम साझा कार्यक्रम ।

कन्वर्जेंस और ई गवर्नेंस के लिए वर्ष 2002 में एक कार्य दल गठित किया गया था जिसने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को दिया । जिसकी सिफारिशों में प्रमुख सिफारिशें थी कि एक केंद्रीय निकाय e-governance परिषद काउंसिल फॉर ई गवर्नेंस , तथा कमीशन ऑन रीइंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर फॉर ई गवर्नेंस स्थापित किया जाए इसके अलावा स्मार्ट ई गवर्नेंस संस्थान विस्थापित किया जाए और इसके लिए आवश्यक वैधानिक उपाय किए जाएं ।
इसके अलावा 2004 में यूपीए सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी ई गवर्नेंस की संस्थागत स्थापना शामिल थी । कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उल्लेख करता है कि ई गवर्नेंस प्रभावशाली मात्रा में लागू होगी इसके लिए आवश्यक संस्थागत प्रयास किया जाएगा जिससे भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी और उत्तरदाई सरकार की स्थापना हो । साथ ही साथ जनता को सरल और सुलभ तरीके से शासकीय योजनाओं और नीतियों की जानकारी हो सके तथा शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंच सके ।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम **2000**

ई गवर्नेंस गेम दिशा में यदि ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जो भी गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस को कानूनी आधार प्रदान करता है इस अधिनियम के परिचालन हेतु भारतीय दंड संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम बैंकर्स बुक साक्ष्य अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आदि में भी आवश्यक एवं प्रासंगिक संशोधन किए गए इस अधिनियम के माध्यम से ही गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की योजनाएं सुचारू रूप से परिचालित हो पाती हैं इस संबंध में कुछ प्रमुख प्रावधान और धाराएं निम्नलिखित हैं ।

- रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता- धारा **4**
- इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता - धारा **5**
- सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग - धारा **6**
- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रतिधारण - धारा **7**

- दस्तावेजों आदि का ऑडिट इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखा जाता है **-** **धारा 7ए**
- इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम, विनियम आदि का प्रकाशन **-धारा 8**
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में बातचीत करने के लिए सरकारी कार्यालय आदि पर जोर देने का अधिकार नहीं **-धारा 9**
- इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति **- धारा 10**

संदर्भ

https://www.legalserviceindia.com/legal/article-2672-e-governance.html

https://cleartax.in/s/e-governance#:~:text=Electronic%20governance%20or%20e%2Dgovernance%20can%20be%20defined%20as%20the,various%20standalone%20systems%20and%20services.

Dr. SHAKEEL HUSAIN